असाधारण
EXTRAORDINARY

Daman 17th April, 2014, 27 Chaitra 1936 (Saka) सं. No. : 24

सरकारी राजपत्र
OFFICIAL GAZETTE

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
Government of India

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
U.T. ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

No. 3/4/ID/2014/SDR-VOL.I **Dated : 2nd April, 2014**

ORDER

1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and

EXTRAORDINARY No. : 24	
DATED : 17TH APRIL, 2014.	

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, Electors Photo Identity Card has been issued to more than 97% registered electors in the country; and

7. Whereas, the Commission has directed that **'Authenticated Photo Voters Slip'** shall be distributed to the electors.

8. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for General Elections to the House of the People, 2014 and the State Legislative Assemblies of **Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim** and bye-elections from 27 Assembly Constituencies being held simultaneously, which have been notified/to be notified on 13-03-2014, 14-03-2014, 15-03-2014, 19-03-2014, 29-03-2014, 02-04-2014, 12-04-2014 and 17-04-2014, all electors who have been issued EPIC shall produce the EPIC for their identification at the polling station before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity :-

   (i) Passport;
   (ii) Driving License;
   (iii) Service Identity Card with photograph issued to employees by Central/State Govt. PSUs/Public Limited Companies;
   (iv) Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office;
   (v) PAN Card;
   (vi) Aadhar Card;
   (vii) Smart Card issued by RGI under NPR;
   (viii) MNREGA Job Card;
   (ix) Health Insurance Smart Card issued under the Scheme of Ministry of Labour;
   (x) Pension document with photograph; and
   (xi) Authenticated Photo Voter Slip issued by the election machinery.

9. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes, etc. should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an Electors Photo Identity Card, which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPICs shall also be accepted for identification provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in para 8 above.

10. Notwithstanding anything in Para 8 above, overseas electors who are registered in the electoral rolls under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Passport, shall be identified on the basis of their original passport **only** (and no other identity document) in the polling station.

By Order,

Sd/-
(Ashish Chakraborty)
Secretary

***

EXTRAORDINARY No. : 24
DATED : 17TH APRIL, 2014.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001

सं. 3/4/आई.डी./2014/एसडीआर-खण्ड-। दिनांक-2 अप्रैल, 2014

आदेश

1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों को उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंधों को बनाया जा सकता है तथा
2. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 को नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके। निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है, तथा
3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49ज(3) तथा 49ट(2)(ख) में यह निर्दिष्ट है कि जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियमस, 1960 के नियम 28 के उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिये जाते हैं, निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इनकार किया जा सकता है, तथा
4. यतः, उक्त अधिनियम तथा नियमों के पूर्वोक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने पर ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों को एक साथ प्रयोग करना होता है,
5. यतः, निर्वाचन आयोग ने समयबद्ध योजना के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी करने के निर्देश देते हुए दिनांक 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है, तथा

6. यतः, देश में पंजीकृत निर्वाचकों में से 97% से अधिक निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं,
7. यतः, आयोग ने यह आदेश दिया है कि "प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची" मतदाताओं को बांटी जाएगी,
8. अतः, अब सभी संबद्ध घटकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, यह निदेश देता है कि एक साथ होने वाले लोक सभा, 2014 तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडीशा एवं सिक्किम के राज्य विधान सभा साधारण निर्वाचनों तथा 27 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचन, जो कि 13-03-2014, 14-03-2014, 15-03-2014, 19-03-2014, 29-03-2014, 02-04-2014, 12-04-2014 तथा 17-04-2014 को अधिसूचित किए गए/ किए जाने वाले हैं, सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर मत डालने से पहले पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे । ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगाः-

   I. पासपोर्ट
   II. ड्राइविंग लाइसेंस
   III. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
   IV. बैंकों/ डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक
   V. आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)
   VI. आधार कार्ड
   VII. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)
   VIII. मनरेगा जॉब कार्ड
   IX. श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
   X. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, एवं
   XI. निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची

9. ईपीआईसी के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी

पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभंव न हो तब मतदाता को उपयुर्कत पैरा 8 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

10. ऊपर पैरा 8 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा ।

आदेश,

आशीष चक्रवर्ती

(आशीष चक्रवर्ती)

सचिव

Government Printing Press, Daman - 04/2014 – 250.
[Price Rs. 3.00]